

29⁰¹
21 - पत्रावली, पेशा दुर्ग, उपभण्ड
उपायित । पत्रावली का मनन 9
काम लौकिक किया गया । दिनांक
03.11.20 को जारी आयाची
निषेधाज्ञा आदेश, खारिज किया
जाता है । विहित नियम प्रथम
से संकित करा खुले न्यायालय
में पुनर्का गया । पत्रावली
केसल शुमार होकर, नगल
से कात हो, बाद तलमील
दाखिल दफ्तल हो।



२५६-
29.1.21
उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०